
## URL: http://xgn.mp.nic.in/login.aspx

Clear timelines of 45 Days for disposal of complete combined application under Water Act, 1974/Air Act, 1981/Hazardous waste rules, 2008 are notified through Board vide order dt 02/11/2015, which is available on the portal at url <a href="http://xgn.mp.nic.in/ViewDocs.aspx?File\_Path=XGNEDB1">http://xgn.mp.nic.in/ViewDocs.aspx?File\_Path=XGNEDB1</a>



## मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

**ф**ніф 5548

/स्था/प्रनिबो/२०१५

भोपाल, दिनांक २-//-/5

-: कार्यालय आदेश :-

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन पद्धित से सिंगल विन्डो प्रणाली से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमा पार परिचालन) नियम 2008 के अन्तर्गत कॉमन एकीकृत आवेदन पर जल, वायु एवं परिसंकटमय अपशिष्ट के अन्तर्गत अनुमित जारी की जाती है ।

बोर्ड के आदेश कमांक 2327 दिनांक 14/10/2014 एवं आदेश कमांक 2128 दिनांक 20/8/2015 द्वारा उक्त अनुमित/स्थापना सम्मित जारी करने की समय-सीमा 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई है। उक्त समय-सीमा जल एवं वायु अधिनियम के उत्पादन सम्मित एवं सम्मित नवीनीकरण तथा खतरनाक अपशिष्ठ नियम के अन्तर्गत प्राधिकार/प्राधिकार नवीनीकरण प्रकरणों हेतु भी लागू निर्धारित की जाती है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे ।

ए० ए० मिश्रा ) भदस्य सचिव दु भोपाल,दिनांक २-//-/

पृ०क्रमांक *5549* /स्था/प्रनिबो/२०१५ प्रतिलिपि :-

 प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

2 निज सचिव, अध्यक्ष/ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

- 3 समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- ५ आईटी शाखा/गार्ड फाइल/व्यक्तिगत नस्ति।

6 गार्ड फाईल ।

Steoraledear

(ए० ए० मिश्रा ) सरस्य सचिव

0